प्रेस विज्ञप्ति

29/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),जालंधर ने स्नेहल एंटरप्राइजेज एंड विरु मल मुल्ख राज जैन राइस मिल्स, नितिन जैन और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.02.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश द्वारा मैसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज, मैसर्स विरु मल मुल्ख राज जैन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, नितिन जैन, नीतू जैन और अन्य से संबंधित जिला- अमृतसर, पंजाब में स्थित भूमि, संयंत्र और मशीनरी के रूप में (लगभग) 27.54 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क किए हैं।

ईडी ने 185.17 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और बैंक फ्रॉड करने पर मैसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज और अन्य के विरुद्ध सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों / संस्थाओं ने बैंक को सूचित किए बिना मैसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज के परिसर में रखे स्टॉक को अवैध रूप से बेच दिया/निपटान किया, जोकि बैंक के पास माल बंधित रखा गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि उक्त इकाई ने मैसर्स विरू मल मुल्ख राज जैन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते, इसकी सहायक संस्थाओं, मैसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज के खातों और नकद निकासी के माध्यम से ऋण राशि की हेराफेरी की और इसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।